बस्तर अन्धेरे में

छत्तीसगढ़ राज्य में मीडिया और नागर समाज पर जिस तरह की कड़ी कार्यवाही हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोंटा जा रहा है।

पिछले 6 महीनों में पत्रकारों और मानव अधिकारों के रक्षकों पर अभूतपूर्व हमलों को को इस मध्य भारतीय राज्य में देखा गया हैऐसी स्थितियों को पैदा किया जा रहा है जहां मनमाने ढंग . से गिरफ्तारी, जीवन को खतरा और पत्रकारों, वकीलों, और अन्य मानव अधिकारों के रक्षकों के कार्यों में नियोजित बाधायें उत्पन्न की जा रही हैं जिसकी वजह से सूचनाओं के मामले में एक तरह का पूरा अँधियारा फैलता जा रहा है।

सुरक्षा बलों द्वारा की गई ज्यादतियांे पर स्थानीय पत्रकारों की तहकीकात के बाद उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और यातनाएं दी गईं जबकि उनके वकीलों को धमकी दी गई है .तथाकथित सुरक्षा कानूनों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ तीव्रता से .विचित्रता और तर्कहीनता की तरफ़ बढ़ रहा है.

राज्य द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के साथ साथ, ऐसे समुह जो उनके कहे पर काम कर रहे हैं, के द्वारा भी डराने-धमकाने की प्रक्रिया जारी है. स्थानीय स्वघोषित सतर्कता समूह जैसे कि सामाजिक एकता मंच और महिला एकता मंच जिन्हें राज्य पुलिस का समर्थन प्राप्त होता दिखाई देता है, ने पत्रकारों को धमकाया और परेशान किया है। इस समूह में वे लोग हैं जो प्रतिबंधित सलवा जुडूम नागरिक सेना के भी सदस्य थें।

बस्तर ने िहंसा और जवाबी हिंसा को बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम के रूप में देखा है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को सभी पक्षों से दुव्र्यवहार का सामना करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध, नागरिक समाज और मीडिया की खामोशी दुव्र्यवहार को अधिक सक्षम बना सकती है और छिपा सकती है। ऐसी घटनाएं अधिकांशतः राज्य के बस्तर

क्षेत्र और आसपास में घटित होती रही हैं जो कि राज्य बलों और सशस्त्र माओवादी संगठनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का केन्द्र है।

अंधेरे की समयरेखा

16 जुलाई 2015 - पत्रकार सोमारू नाग को कथित तौर पर एक माओवादी हमदर्द होने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत डकैती, आगजनी और अपराधिक साजिश के आरोपों के लिए पकड़ा गया।

29 सितम्बर 2015 - पत्रकार संतोष यादव को कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन से जुड़ने और आतंकवादी समूहों को समर्थन और उनकी सहायता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (रोकथाम), भारत के प्रमुख आतंकवादी विरोधी कानून तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत पकड़ा गया है।

01 नवम्बर 2015 - बीजापुर के पेडागेलुर गांव की आदिवासी महिलाओं ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें सुरक्षा बलों के सदस्यों पर उनके द्वारा 19 और 24 अक्टूबर 2014 को बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं को स्थानीय कार्यकर्ता सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसमें शोधार्थी बेला भाटिया और जगदलपुर कानूनी सहायता समूह के वकील शामिल हैं।

15 जनवरी 2016 - सुकमा के कुन्ना गांव की आदिवासी महिला ने एक एफआईआर दायर की जिसमें सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा 12 जनवरी को बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का उन पर आरोप लगाया है। महिलाओं को स्थानीय कार्यकर्ता सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसमें कार्यकर्ता सोनी सोरी शामिल हैं।

18 जनवरी 2016 - नेन्द्रा, बीजापुर की आदिवासी महिलाओं ने एक एफआईआर दायर करने की कोशिश की जिसमें सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा 11 जनवरी से 14 जनवरी को बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का उन पर आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर मना कर दिया लेकिन बाद में 21 जनवरी को स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेसवार्ता किए जाने के बाद एफआईआर को पंजीकृत किया गया।

08 फरवरी 2016 - जगदलुपर में सामाजिक एकता मंच के सदस्यों ने पत्रकार मालिनी सुब्रमन्यम के घर के सामने प्रदर्शन किया। वे उस पर माओवादी का हमदर्द होने का आरोप लगाया। बाद में उस रात उसके घर पर पत्थर फेंके गए।

18 फरवरी 2016 - पुलिस द्वारा उनके मकान मालिक पर दबाव डालने के बाद पत्रकार मालिनी सुब्रमन्यम अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुई।

18 फरवरी 2016 - जगदलपुर कानूनी सहायता समूह)जैगलेग) की वकील शालिनी गेरा और इशा खण्डेलवाल जगदलपुर में पुलिस द्वारा उनके मकान मालिक पर दबाव डालने के बाद वे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुईं।

20 फरवरी 2016 - बीबीसी हिन्दी पत्रकार आलोक पुतुल को धमकियां मिलने के बाद बस्तर में कार्य छोड़ने को मजबूर किया जाता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रकार को सूचित किया था कि वह राष्ट्रवादी और देशभक्त पत्रकारों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देता है।

20 फरवरी 2016 - मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी पर हमला किया गया और उनके चेहरे पर कोई काला पदार्थ फेंका गया। उनके भतीजे लिंगराम कोडोपी ने बाद में बताया कि पुलिस ने उन्हें यह कहने के लिए धमकाया कि यह हमला खुद सोनी सोरी ने ही सहानुभूति प्राप्त करने के लिए करवाया था। सोनी सोरी के जीजा अजय मारकम ने कहा कि पुलिस ने उसे उठाया और उस पर अत्याचार किया।

16 मार्च 2016 - दल्ली राजहरा के -शहीद अस्पताल के मुख्य चिकित्सक सैबल जाना, जिन्होंने वंचित समुदाय के इलाज के लिए अपने साथियों के साथ इस अस्पताल की स्थापना में मदद की थी, उन्हें कथित तौर पर 1992 में एक दर्ज अपराधिक मामले में फरार होने के लिए गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया।

21 मार्च 2016 - पत्रकार प्रभात सिंह को पुलिस द्वारा उठाया गया, उस पर अत्याचार किया गया और फिर सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का व्हाटस एप पर संदेश द्वारा मजाक बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

26 मार्च 2016 - पत्रकार दीपक जैसवाल को घुसपैठ, सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक के साथ मारपीट करने के लिए स्कूल प्राचार्य द्वारा की गई 07 महीने पुरानी दर्ज शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया।

26 मार्च 2016 - शोधार्थी बेला भाटिया के घर के बाहर महिला एकता मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। उस पर एक माओवादी होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे इस राज्य को छोड़ देना होगा।

30 मार्च 2016 - एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया की तीन सदस्यी तथ्य जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बस्तर में पत्रकारों के बीच भय की भावना है और पत्रकारिता के लिए लोकतांत्रिक स्थान सिकुड़ रहा है।

पत्रकार:

संतोष यादव, सोमारू नाग, प्रभात सिंह, दीपक जैसवाल, मालिनी सुब्रमण्यम

संतोष यादव)25) बस्तर के एक छोटा से नगर धरबा में जन्मे और बड़े हुए। जब वे स्कूल में थे तो वह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। इसकी बजाए वो क्षेत्र में राज्य पुलिस के अनुचित व्यवहार और **माओवादी सशस्त्र समूहों** पर रिर्पोटिंग करने एक पत्रकार बनने को चल दिए। वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र जैसे नवभारत और दैनिक छत्तीसगढ़ के लिए एक स्थानीय पत्रकार थे। राज्य के सामने घुटने नहीं टेकने के कारण आख़िरकार गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ा.

सितम्बर 2015 में, राज्य पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बद्रीमाहु जो कि धरबा के जंगलों के अन्दर स्थित एक गांव है, से पांच आदिवासी ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने दावा किया कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया। संतोष यादव ने न केवल बद्रीमाहू से मीडिया रिपोर्टों को दायर किया, बल्कि आदिवासी ग्रामीणों को जगदलपुर कानूनी सहायता समूह के वकीलों से मिलवाया और अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती दी।

संतोष यादव की रिपोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा आदिवासियों के उत्पीड़न पर एक प्रकाश बिंदु डाला। इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर, उन्हें राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर नक्सली सशस्त्र समूहों द्वारा 29 सितम्बर को सुरक्षा बलों पर किए गए हमले में

शामिल होने का आरोप लगाया गया और कथित तौर पर दंगा फैलाने, अपराधिक साजिश रचने, हत्या के आरोप में, भारत में प्रतिबंधित कम्यूनिस्ट पार्टी सशस्त्र समूह तथा अन्य (माओवादी) अपराधों का**हिस्सा होने के लिए** गिरफ्तार किये गये। उन पर छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। (रोकथाम) अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें10 वर्ष जेल में बिताने पड़ सकते हैं।

उनकी पत्नी पूनम यादव ने एमनेस्टी इंटरनेशल इंडिया को बताया, ''वह अपने काम के कारण बहुत खतरों का सामना करते थे। मैंने उन्हें सावधान रहने को कहा और एक बार तो दूसरा पेशा खोजने के लिए भी उनसे कहा। लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि **वो दूसरों की मदद कर रहे हैं** और किसी से भी नहीं डरते। उन्हें राज्य पुलिस द्वारा फंसाया गया है।''

संतोष यादव की वकील, इशा खण्डेलवाल ने एमनेस्टी इंटरनेशल इंडिया को कहा कि आरोप गढ़े गए थे और पत्रकार को पुलिस द्वारा आदिवासियों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार हनन पर उसकी रिर्पोटिंग के कारण उसे निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा, **"पुलिस ने उसे 2013 में परेशान करना शुरू कर दिया था। एक समय तो उसे पुलिस हिरासत में नग्न रखा गया और अपमानित किया। वहां उस पर मुखबिर बनने के लिए बहुत दबाव डाला गया था।** उसकी केवल यही गलती थी कि वह अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों से से आगे बढ़कर ग्रामीणों को कानूनी सहायता तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद की। बस्तर में पुलिस पत्रकारों से वही रिपोर्ट करवाना चाहती है जो वो कहते हैं। संतोष यादव हमेशा कहानी के दोनों पक्षों की रिपोर्ट देते थे।''

राजकुमार सोनी, राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका के पत्रकार, ने एमनेस्टी इंटरनेशल इंडिया को बताया, ''राज्य पुलिस को समझना चाहिए कि पत्रकार को कहानी के दोनों पक्षों पर रिपोर्ट करनी होती है। एक पत्रकार पर एक माओवादी से बोलने के लिए माओवादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।''

उन्होंने कहा, ''**अगर आप उस घटना की जानकारी के बारे में पुलिस से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम एक राष्ट्र विरोधी पत्रकार हो और वे जानकारी साझा नहीं कर सकते। बस्तर में, यदि आप पत्रकार हैं तो आपको एक समय माओवादी की बात करनी होगी ठीक वैसे ही जैसे मुबंई में पत्रकार व्यापारियों, राजनैतिज्ञों और पुलिस अधिकारी की कहानी बताता है। क्या ऐसा कोई कानून है जो रिर्पोटिंग को उसके संस्करण में करने से रोकता है?"**

सोमारू नाग)24) सोमारू नाग एक आदिवासी पत्रकार जिसने ग्रामीण मुद्दों जैसे पानी और बिजली तक पहुंच को बस्तर क्षेत्रीय समाचार पत्रों में उठाया, जैसे कि राजस्थान पत्रिका। उसने रिपोर्ट में राज्य पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियां पर भी प्रकाश डाला तथा बताया कि किस प्रकार पुलिस दल आदिवासी समुदाय को मुखबिर बनने पर मजूबर कर देता है।

सोमारू नाग 16 जुलाई 2015 को गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने उन पर माओवादियों के साथ संबंध होने का और एक कार्यवाही के दौरान एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों में आग लगाने का आरोप लगाया है। उन पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप लगाया है और भारतीय दंड संहिता के तहत डकैती, आगजनी, और अपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके े गांव, तीरथगढ़ के सदस्यों ने एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि वो एक बेगुनाह रिपोर्टर हैं।

"बस्तर के गाँव में बहुत खौफ है। वे पुलिस अफसरों एवं माओवादियों, दोनों से डरते हैं। जगदलपुर की स्थानीय मिडीया असहाय है, अगर वे पुलिस के अनुसार न चलें तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण सत्य पीड़ित है," - जीनेश जैन, संपादक, पत्रिका।

प्रभात सिंह)31) प्रभात सिंह हिंदी दैनिक पत्रिका एवं न्यूज़ चैनल इटीवी के लिए दंतेवाड़ा में पत्रकार का कार्य करते थे। उन्होंने राज्य में पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार एवं मानवीय अधिकारों के उल्लंघनों, जिसमें कि न्यायेतर दण्ड शामिल थे, के बारे में रिर्पोट बनाई थी।

6 मार्च को प्रभात सिंह ने समाजिक एकता मंच के सदस्यों के विरूद्व पुलिस में शिकायत की थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि वे सदस्य एक व्हाॅट्सएप समूह में उन्हें बदनाम कर रहे हैं। 19 मार्च को उनके नियोक्ताओं ने उनके काॅन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। दो दिन पश्चात राज्य पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि 1 मार्च को उन्होंने एक व्हाॅट्सएप समूह में वरिष्ठ पुलिस अफसर का मज़ाक उड़ाते हुए अश्लील संदेश पोस्ट किए थे।

प्रभात सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुभाग 67 एवं 67 ए के अंतर्गत ''इलैक्ट्राॅनिक रूप में अश्लील तथ्य को छापने तथा प्रचार'' करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

इसके साथ ही वे धोखेधड़ी, अपहरण तथा पुलिस के कार्य में दखल करने जैसे पूर्वकालीन मामलों में भी आरोपों का सामना कर रहे हैं।

प्रभात सिंह ने ये आरोप लगाया कि हिरासत में पुलिस ने उन पर अत्यचार किए। उनके वकील क्षितिज दुबे ने कहा, ‘‘सोमवार को पुलिस ने प्रभात को उठाया तथा उन्हें हिरासत में एक दिन के लिए बिना फर्स्ट इनफाॅर्मेशन रिर्पोट रखा गया था। (एफआईआर) मंगलवार को जब प्रभात को अदालत में पेश किया गया तब उन्होंने जज को उन पर पुलिस हिरासत में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। ऐसे सुलूक से उनके छाती एवं हाथों पर कई निशान थे।’’

दीपक जयसवाल**) 30)** दीपक जयसवाल, दैनिक दैनन्दिनी के साथ पत्रकार, ने 2015 मे कई रिर्पोटों को प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विद्यालय परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल का आरोप लगाया था। दीपक जयसवाल प्रभात सिंह के घनिष्ठ मित्र हैं। 26 मार्च को वो दंतेवाड़ा के एक स्थानीय अदालत में प्रभात सिंह के जमानत अर्जी को भर रहे थे जब राज्य पुलिस ने उन्हें एक विद्यालय प्राचार्य के सात महीने पुराने शिकायत जिसमें उन पर अतिक्रमण और सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। विद्यालय प्राचार्य का आरोप था कि दीपक जैसवाल ने उन्हें धमकी दी थी कि वे विद्यालय परीक्षा में नकल की झूठी खबर लिखेंगे तथा रिश्वत भी माँगी थी।

उनके वकील क्षितिज दुबे ने कहा, ‘‘विद्यालय परीक्षाओं में हो रहे नकल की जाँच करने के बजाय राज्य पुलिस उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है जो ऐसे रिर्पोटों को लिख रहें हैं। मामले की जाँच के बजाय राज्य सरकार अनियमताओं को उजागर करने वालों पर हमले कर रही है । ऐसे मौहल में आप पत्रकारों से रहने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं?’’

मालिनी सुब्रमनियम)52) मालिनी सुब्रमनियम एक पत्रकार हैं जो कि न्यूज़ वेबसाइट स्क्रोलइन . में योगदान करती हैं तथा छत्तीसगढ़ के सुरक्षा दलों पर मानवीय अधिकारों के उल्लंघनों जिसमें यौन हिंसा के मामले, आदिवासी विरोध, आत्मसमर्पण एवं पत्रकारों पर अत्याचार तथा नकली माओवादियों के ‘आत्मसमपर्ण’ शामिल है, के बारे में नियमित रूप से लिखती आ रही हैं।

10 जनवरी 2016 को समाजिक एकता मंच के लोगों का एक समूह उनके घर जो कि जगदलपुर में है गये और उन पर आरोप लगाया कि वे ''ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिससे बस्तर और पुलिस की छवि कलंकित होती है।''

7 फरवरी को 20 लोगों का समूह, जिसमें से कुछ को उन्होंने समाजिक एकता मंच के सदस्य के रूप में पहचाना था, उनके घर के सामने इकट्ठा हुए थे। उन्होंने उनके पड़ोसियों से विनती कि वे उनके घर पर पथराव करें तथा नारे लगाए कि वो सशस्त्र माओवादी संगठनों की एजेंट थी एवं उनसे बस्तर छोड़कर चले जाने की माँग करने लगे। बाद में उसी रात उनके गाड़ी पर पत्थर फेंके गये जिससे कि उनके गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अगले दिन समाजिक एकता मंच ने एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए उन पर आरोप लगाए कि वे बस्तर की वृकित छवि प्रस्तुत करती हैं तथा 'माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देती हैं'।

ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल भारत से बात करते हुए सुब्रमनियम ने कहा, ''ये हमले मुझपर व्यक्तिगत नहीं हैं बल्कि एक ऐसे पत्रकार पर है जो जमिनी घटनाओं पर खबर बनाती है, जो कि वो नहीं चाहते।'' **मालिनी** पूर्व में छत्तीसगढ़ में **इंटरनेशनल कमिटी आॅफ रेड क्राॅस के दफ्तर में कार्य करती थीं, जिसे 2013 में राज्य अधिकारियों ने अपने संचालन को निलंबित करने का निर्देश दिया था।**

) जैगलेग) में उनके वकीलों के अनुसार पुलिस ने 8 फरवरी के हमले के विरूद्ध में एफआईआर (दर्ज करने से इंकार कर दिया तथा कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी जो कि उस वक्त यात्रा कर रहे थे। अंततः पत्रकार के गैर मौजूदगी में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध घर अतिचाऱ और पचास रूपए का नुकसान करने वाली शरारत पर 9 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में न ही 7 फरवरी की घटना, न ही सुब्रमनियम द्वारा अपने कथन में लोगों की पहचान का कोई ज़िक्र किया गया।

17 फरवरी को पुलीस ने पत्रकार के मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया। मकान मालिक ने बाद में उन्हें बताया कि वे उनके घर को छोड़कर जल्द से जल्द चली जाएं। उसी दिन उनके घर के काम करने वाले को पुलिस द्वारा बार बार रोका गया तथा पुछताछ की गई। उनकी - सुरक्षा के भय से स्क्रोल ने मालिनी सुब्रमनियम से जगदलपुर छोड़ देने को कहा। पत्रकार तथा उनका परिवार अगले दिन वहाॅं से चले गये।

शोधार्थी)बेला भाटिया :53) बेला भाटिया एक स्वतंत्र शोधार्थी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो कि बस्तर में 2015 रहकर कार्य कर रही हैं। वे इस वक्त जगदलपुर के एक गाँव, परपा में रह रही हैं।

बेला भाटिया ने सेंटर फाॅर द स्टडी आॅफ डेव्लपिंग सोसाईटीज़)सी एस डी एस) के साथ काम किया है, जो कि एक नामी-गरामी सामाजिक अध्यन संस्थान और थिंक-टैंक है जहाँ पर वे तेलेंगना नक्सली आंदोलन एवं बस्तर में सल्वा जुडुम मुहिम पर केंद्रीत कर रहीं थी। 'उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास चुनौतियों' पर योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सदस्य भी थी।

बेला उस समूह की भी हिस्सा थी जिन्होंने आदिवासी महिलाओं पर सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अक्टूबर 2015 एवं जनवरी 2016 में, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा किया गया था एवं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में सहायता की थी।

21 जनवरी 2016 को बेला भाटिया एवं अन्य कार्यकर्ता बीजापुर में आदिवासी महिलाओं की एफआईआर दर्ज कराने में मदद कर रही थी, जब नक्सल पीड़ित संघर्ष समिती नामक एक समूह उनके खिलाफ नारे लगाने लगे क्योंकि उन्होंने सुरक्षा बलों की छवि को बदनाम किया है। 29 जनवरी को उसी समूह ने बीजापुर में बेला भाटीया एवं आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी के विरूद्ध में एक विरोध यात्रा का आयोजन किया था जिसमें पूतलें फूंके गये तथा कार्यकर्ताओं को बीजापुर लौटने से मना किया गया।

19 फरवरी को पुलिस बेला के घर गई और उसके मकान मालिक, उनकी पत्नी एवं ग्राम पंचायत के प्रमुख से पूछताछ की। दूसरे दिन पुलिस ने उनके मकान मालिकों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। तीन दिन पश्चात पुलिस फिर से उनके घर पहँुचकर घर की तस्वीरें लेने लगीं।

18 मार्च को महिला एकता मंच ने जगदलपुर में आँठ वर्षीय युवती की मृत्यु की निंदा में प्रतिवाद का आयोजन किया था। इस युवती की मृत्यु सुकमा में माओवादियों संगठनों द्वारा लगाये गये बारूदी सुरंग से हुई थी। उनकी माँग थी कि बेला भाटिया तथा मानवाधिकार वकील शालिनी गेरा बस्तर छोड़कर चली जायें तथा उन पर छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्यूरिटी एक्ट

के अंतर्गत चार्ज लगाए जाए। 26 मार्च को दर्जनों पुरूष एवं महिलाएं बेला भाटिया के घर पहँ्ुच गए जब वे घर पर नहीं थीं। उन्होंने उनकी मकान मालकीन को सलाह दी कि उन्हें घर से निकाल दिया जाए क्योंकि वो एक ‘‘नक्सली आतंकवादी’’ थी। विरोधियों ने एक जुलूस निकाला, पन्ने बाँटे जिसमें लिखा था :‘‘ये जान लें कि बेला भाटिया एक माआवादी े एजेंट, आपके बीच रहती हैंबस्तर छोड़ कर चली जाओ। ...बेला भाटिया देश को बर्बाद करना बंद करो ...’’

<पर्चा डालें>

24 मार्च को बेला भाटिया ने खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बस्तर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने लिखा, ‘‘’

“लोकतंत्र एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि मूल्य है. इसके मूल में शायद यह विचार है कि हम केवल खुद का ही नहीं पर दूसरों के हित की भी सोचें. एक खुलेपन का माहौल बनाये जहां सब जी सकें. ऐसा माहौल जहां डर न हो. कोई दबाने वाला या दबने वाला न हो. जहां हम आमने-सामने रह कर बात कर सकें. विचारों का आदान-प्रदान कर सकें. जहां सब का भला हो सके. मेरी आशा है की बस्तर में हम ऐसे लोकतंत्र की स्थापना कर पायेगें.”

सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार **हनन**

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का आरोप

2015 से सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के दक्षीण बस्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा, शारीरिक शोषण एवं गाँवों में लूटपाट के तीन मामलों के रिर्पोट आए हैं।

1 नवंबर 2015 को तीन आदिवासी महिलाएं तथा एक किशोरी युवती ने एकन रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें सुरक्षा बल के जवानों पर 19 एवं 24 अक्टूबर को बिजापुर जिले के पेग्डापल्ली, पेड़ागेलूर, गुंदेम, बुर्गीचेरू और चिन्नागेलूर गाँवों में बड़े पैमाने पर बलात्कार, मारपीट तथा लूट का आरोप लगाया गया था। इन महिलाओं की सहायता यौन हिंसा और राज्य दमन के खिलाफ महिलाओं के एक समूह के कार्यकर्ताओं ने की जिसमें शोधकर्ता बेला भाटिया भी शामिल थीं।

एक पीड़िता के अनुसार :“वे मेरी मुर्गियों के पीछे भागने लगे जिसका मैंने विरोध किया। ‘मेरे मुर्गियों को क्यों पकड़ रहे हैं? अपना काम करो,’ मैंने कहा। इस पर उन्होंने मुझे एक डंडे से मारा, मेरी आँखों पर पट्टी बाँधते हुए मुझे जंगल तक घसीट लेकर गए जहाँ मेरा बलात्कार किया। मैंने उन्हें गोंडी भाषा में कहते हुए सुना कि वे मुझे वहीं मार देंगे।” ऐसा कहा जाता है कि बहुत महिलाओं का सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा उनके घर के बाहर पीछा किया गया तथा पीटा गया। दर्जन महिलाओं से अधिक ने बाद में हिंसा के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए। अभी तक कोई गिरफ्तारी या आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

5 अप्रैल को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग **के एक समूह, जो कि आरोपों की जाँच कर रही थी, ने कहा कि सामूहिक यौन हिंसा का प्रथम दृष्टा सबूत था तथा मामले की जाँच प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी। समूह ने निष्पक्ष जाँच की माँग की और कहा कि ज़िला पुलिस द्वारा की गई जाँच अनुकुल नहीं होगी क्योंकि वे स्वंय** तलाशी **अभियान में शामिल थे।**

28 जनवरी 2016 को छह आदिवासी महिलाओं ने सुरक्षा बल के जवान द्वारा 12 जनवरी को सुकमा जिले के कुन्ना गाँव और पेडापारा में तलाश अभियान के दौरान यौन उत्पीड़न के विरोध में एफआईआर पंजीकृत कराई। इन महिलाओं के साथ कार्यकर्ता सोनी सोरी ने मिलकर 15 जनवरी को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर को हिंसा की रिर्पोट दी परंतु एफआईआर बाद में ही दर्ज की गई। महिलाओं ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान ने उन्हें वस्त्रहीन कर उन्हें पीटा। एक महिला ने बताया कि उसे घर से घसीटकर निकाला गया एवं उसके पति और बच्चों को सुरक्षा बल के शिविर में ले जाया गया। जब उसने कहा कि उसके एक बहुत छोटा सा बच्चा है तो पुलीसवाले ने जबरदस्ती उसके स्तन से दुध निचोड़ा । कोई गिरफ्तारी या आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

18 जनवरी 2016 को नेंद्रा गाँव की 16 आदिवासी महिलाएं, जिनमें बलात्कार के आँठ पीड़ित भी थे, बिजापुर के जिला मुख्यालाय तक जाकर सुरक्षा बल के जवान के खिलाफ एफआईआर

दर्ज कराई जिसने 11 और 14 जनवरी के बीच नेंद्रा में तलाश अभियान के दौरान दर्जन से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर लिए पर पुलिस अधीक्षक के गैर मौजुदगी में एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया। महिलाओं की वकील ईशा खंडेलवाल ने कहा, "**जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। बावजूद इसके वे जिला थाना तक एफआईआर दर्ज कराने गईं जहाँ पुलिस के अफसरों ने एसपी की गैर मौजूदगी में एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया।**"

शिवानी तनेजा यौन हिंसा और राज्य दमन के खिलाफ महिलाओं के समूह)डब्लू एस एस) की एक सदस्य, जो पीड़ितों के साथ गयी थी, ने कहा, "प्रभावित महिलाओं के बयान लेते वक्त एक महिला पुलिस अफसर ने गोंडी भाषा में कहा, "तुम सब नक्सलियों को खिलाते हो, उनका ध्यान रखते हो। और अब यहाँ आ रहे हो।" उनके विरूद्ध निरंतर भेदभाव है क्योंकि वे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आती हैं।"

कार्यकर्ताओं एवं जन सामाजिक संगठनों से अत्याधिक दबाव के पश्चात 21 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज की गई। एक महिला के बयान के अनुसार, "दो पुरूषों ने मुझे पकड़ा तथा मुझे घसीट कर घर के अंदर ले गए। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, मेरा ब्लाऊज़ फाड़ दिया और मेरे स्तनों पर दबाव देने लगे। एक पुलिसवाले ने मेरा बलात्कार किया और कहा, 'हम तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे। अगर अभी दिन का वक्त नहीं होता तो तुम्हें मार डालते'।" जवान ने अन्य महिलाओं का भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न किया, गाँववालों को धमकाया और पीटा, मुर्गियां, खाना और पैसे चुराये। अभी तक कोई गिरफ्तारी या आरोप दायर नहीं किए गए हैं।

इन सब मामलों में क्या समानताएं हैं?

- सुरक्षा बल के जवानों के विरूद्ध शिकायतों में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और गाँववालों को गाली गलौज करना और उनके घरों को लूटना, शामिल हैं।

- सभी मामलों में पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज करने से मना किया और कुछ देरी के पश्चात दर्ज कर ली। भारतीय कानून के अंतर्गत यौन हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करना एक अपराधिक जुर्म है।

- सभी एफआईआर सुरक्षा बल के अज्ञात जवानों पर पंजीकृत हुए। नेंद्रा घटना वाले मामले में पीड़ित ने अपने बयान में पुलिस कर्मी की पहचान और नाम बताया था पर इन नामों को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था।

- इनमें से किसी भी मामले में कोई भी आरोप अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। बीजापुर जिला में ऐसी प्रथम घटना हुए छः महीनें हो गये है।

वकील)ईशा खंडेलवाल :25) एवं शालिनी गेरा) 46) ईशा खंडेलवाल और शालिनी गेरा जगदलपुर लिगल एड ग्रुप की सदस्य हैं जो कि 2013 से छत्तीसगढ़ के पाँच जिलों के कैदियों में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। इनमें से कई मुवक्किल आदिवासी समुदाय की सदस्य हैं जिन पर सशस्त्र माओवादी समूहों का हिस्सा होने का आरोप है। **वकीलों ने शोध भी किया है** जो यह दिखाता है कि राज्य में बहुत कम सबूतों पर भी आदिवासियों को अक्सर पुलिस गिरफ्तार करती हैं तथा अदालत द्वारा बरी कर दिए जाने से पहले कैदी पूर्व परीक्षण हिरासत में लंबी अवधि व्यतीत करते हैं।

2015 में एक अज्ञात शिकायत पर पुलिस अफसरों ने जगलग के वकीलों से पूछताछ की ये आरोप लगाते हुए कि उन्हें बस्तर में कार्य करने का हक नहीं है। अक्टूबर 2015 में बस्तर बार एसोसिएशन ने अपने आम सभा में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी कि राज्य बार परीषद या स्थानीय बार में जो वकील पंजीकृत नहीं हैं उन्हें जगदलपुर के अदालतों में कार्य करने नहीं दिया जाएगा, एक कार्यवाही जो कि जैगलेग के वकीलों के कार्य करने में अवरोध पैदा करेगा।

7 फरवरी को ईशा खंडेलवाल ने पत्रकार मालिनी सुब्रमनियम के घर पर हमले के पश्चात एफआईआर दर्ज कराने में सहायता की थी। दो दिनों के बाद समाजिक एकता मंच ने बयान जारी किया कि संगठन जगलग जैसे समूहों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा जो उनके अनुसार समाज सेवा के दिखावे के नाम पर नक्सलियों की सहायता करता है।

" जैगलेग **जो कि, नक्सलियों जैसे गंभीर मामले के बावजूद, जेल में कैद खंूखार नक्सलियों की सहायता कर रहा है बिना यह सोचे कि माननीय स्थानीय वकील ऐसे मामलों से दूर रहते हैं।**"-समाजिक एकता मंच बयान 9 फरवरी को।

17 फरवरी की रात्रि को पुलिस अफसर वकीलों के मकान मालिक के घर जा कर उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गये। मकान मालिक अगले दिन सुबह लौटे और वकीलों से कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि वे उनके घर और दफ्तर को खाली करने के। ''पुलिस द्वारा उनसे यह वादा लिया गया था कि वो यह निश्चित करें कि हम उनका घर एक या दो दिनों में छोड़ देंगे,'' शालिनी गेरा ने कहा। पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने एम्नेस्टी इंटरनैश्नल को बताया कि मकान मालिक की पूछताछ किसी अन्य संदर्भ में हुई थी। बाद में उसी दिन समाजिक एकता मंच के सदस्यों ने जैगलेग द्वारा कथित रूप से माओवादियों को बचाने के खिलाफ एक जन प्रदर्शन किया था। ''**उन्होंने एक प्रेस कथन जारी किया कि हम उनके अगले शिकार हैं क्योंकि हम खून के प्यासे नक्सलियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत भाषण दिए हैं कि हम विदेशी शराब पीते हैं और ठाट से रहते हैं तथा हमारी जीवनशैली आपत्तिजनक है**,'' शालिनी गेरा ने कहा।

19 फरवरी को बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस ने प्रेस काँफ्रेंस में कहा कि जैगलेग वकीलों के विरोध में हमले की धमकी मिली है। शालिनी गेरा एवं ईशा खंडेलवाल ने अगली रात्रि को जगदलपुर छोड़ दिया।

कार्यकर्ता :**सोनी सोरी)40) एवं लिंगराम कोडोपी)30)** एमनेस्टी इंटरनैश्नल की भूतपूर्व प्रीज़नर्स आॅफ काँशयंस और आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता , सोनी सोरी और उनका भतीजा लिंगराम कोडोपी सुरक्षा बलों तथा सशस्त्र माओवादियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघनों के मामलों को छत्तीसगढ़ में कई वर्षों से उठा रहे हैं।

सोनी सोरी एक पूर्व स्कूल शिक्षिका, एवं लिंगराम कोडोपी, एक पत्रकार को राज्य पुलिस द्वारा अक्टूबर और सितम्बर 2011 क्रमशः में एस्सार, काॅर्पोरेट माइनिंग संस्था के संदेशवाहक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप था कि वे एस्सार का ''सुरक्षा धन'' माओवादी संगठनों तक पहुँचाते हैं ताकि संस्था के कार्य में कोई रूकावट न आए। 2014 से आम आदमी पार्टी की नेत्री, सोनी सोरी को उनके खिलाफ दर्ज पाँच मामलों में छोड़ दिया गया तथा कोडोपी को उनके खिलाफ दर्ज दो में से एक मामले में छोड़ दिया गया है। इन दोनो का आरोप है कि पुलिस हिरासत में इनके साथ ज्यादतियां की गई हैं। **29 अक्टूबर 2011 को एक अदालती आदेश के अंतगर्त एक सरकारी अस्पताल ने सोनी की**

जांच की और बताया कि उनकी योनी में दो पत्थर घुसाये गये तथा एक उनके में गुदा में घुसाया गया एवं उनकी रीढ़ की हड्डी में तोड़फोड़ थी।

20 फरवरी 2016 की रात को सोनी सोरी अपने एक साथी के साथ मोटासाइकल पर सवार हो कर जगदलपुर से अपने घर, गीदम, छत्तीसगढ़ जा रही थी जब तीन अज्ञात पुरूष जो कि मोटासाइकल पर सवार थे उन्हें रोकते हुए सोनी सोरी के चहरे पर कोई रसायनीक तत्व को फेंका। कार्यकर्ता ने बताया कि उस तत्व से भीषण जलने के एहसास हुआ तथा वह थोड़ी देर के लिए कुछ देख नहीं पाई। उन्हें जगदलपुर के अस्पताल में ले जाया गया और बाद में नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

सोनी सोरी कई सप्ताह से एक उच्च स्तरीय पुलिस अफसर के खिलाफ मरदम में न्यायेतर मामले के निष्पादन से जुड़ी समस्या की बस्तर में शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रही थी। सोनी सोरी ने एम्नेस्टी इंटरनैश्नल भारत को बताया कि 20 फरवरी को उनके हमलावरों ने उन्हें ऐसी कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी थी।

हमले के पश्चात छत्तीसगढ़ अधिकारियों ने एक विशेष जाँच समूह का गठन किया था जिसमें राज्य के पुलिस अधिकारी शामिल थे। सोनी सोरी के परिवार का आरोप है कि समूह ने बारबार - लिंगराम कोडोपी और सोनी सोरी के जीजाजी, अजय मार्कम को पूछताछ के लिए बुलाया तथा उन पर दबाव दिया कि वो यह स्वीकार करें कि हमले के योजना में उनका योगदान था। अजय मरकाम ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए तीन बार बुलाया गया और उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च 2016 को उन्हें उठाने के बाद 30 घंटों तक जगदलपुर के पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया। इस दौरान, वे बताते हैं कि पुलिस ने उन पर अत्याचार किए। "मुझे पीटा गया और मुझसे कहा गया कि मैं स्वीकार करूँ कि सोनी पर हमला मैंने किया था। जब मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था तब वे मेरे पूरे शरीर पर जूतों से मार रहे थे," अजय मार्कम ने एम्नेस्टी इंटरनैश्नल भारत से कहा।

कानूनविरोधियों का मुँह बन्द करने की सहायता प्रदान करने वाले दुव्र्यवहार कानून को प्रकाश : में लाने के लिए छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की गिरफ्तारी

गैरकानूनी कार्यवाही कानूनः (रोकथाम) गैरकानूनी कार्यवाही कानू (रोकथाम)न जो (यूएपीए) 1967 में अधिनियमित हुआ एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो 2004, 2008 और 2012 में संशोधित किया गया था। इसमें आतंकवाद निरोधक अधिनियम के कठोर प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी दुव्र्यवहारों और आतंकवादी और विनाशकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनि ियम को निरस्त कर दिया गया था, जिसे समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

यूएपीए के कई भाग भारतीय अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार के दायित्वों का उल्लंघन करते हैं - (आईसीसीपीआर) खासकर जो कि इंटरनैश्नल काँवेनन्ट आॅन सिविल राइट्स, जिसमें भारत एक राज्य भागीदार है एवं जो मा -नव अधिकारों के उल्लंघनों का परिणाम है।

यह कानून भी आतंकवादी गिरोह या संगठन की 'सदस्यता' की व्यापक परिभाषा का उपयोग सदस्यता गठन की स्पष्ट परिभाषा के बगैर करता है। इसकी अपनी 'गैरकानूनी गतिविधि' की परिभाषा भी बहुत व्यापक है, जो किसी भी कार्यवाही को समाहित करता है जिसमें भारत की संप्रभुता, और क्षेत्रीय अखंडता को नकारा जाता है, सवाल किया जाता है, या तोड़ा जाता है या जो भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने का इरादा है।

ऐसी परिभाषाएं भारत के संविधान और अतंर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्था तथा सम्मेलन इकट्ठा होने के अधिकारों, की गारंटी देती हैं ,का उलंघन करती है ।

अधिनियम के अंतर्गत, जिन पर शक हो उन्हें बिना किसी चार्ज के न्यूनतम 30 दिनों के लिए तथा अधिकतम 180 दिनों के लिए हिरासत में रख सकते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय मानदंड से कहीं आगे है। ये प्रावधान भारत के अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों कानून के अंतर्गत दायित्वों की अवेहलना करते हैं कि सभी गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को तुरंत उनके खिलाफ दर्ज अपराधों की सूचना दी जाए तथा उन्हें कुछ समय के अंदर अदालत में पेश किया जाए या छोड़ दिया जाए।

अधिनियम में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या बंदियों की सजा के विरूद्ध पर्याप्त पूर्वपरीक्षण सुरक्षा उपायों की कमी है। ये बड़े जुर्म के कुछ सबूतों के बोझ को - उलट देता है, तथा कुछ स्थितियों में आरोपियों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है एक -

प्रावधान जो कि ये अधिकार देता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक कानून आपको अपराधी साबित न कर दे।

2005 से कई सामाजिकराजनैतिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार के संरक्षकों ने मध्य भारत के -पा-आसस नकली आरोपों तथा कैद का सामना किया क्योंकि उन्होंने मानवाधिकार के उल्लंघनों को उजागर किया था। इनमें शामिल है पीपल यूनियन फाॅर सिविल लिबर्टीज़ के बिनायक सेन, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के एक आदिवासी नेता, कर्तम जोगा, तथा सोनी सोरी एवं लिंगराम कोडोपी।

भारत में मानव अधिकार समूहों ने कई ऐसे मामलों को उजागर किया है जहां यूएपीए का दुरूपयोग किया गया, गढ़े हुए सबूतों और झूठे आरोपों के प्रयोग के साथ, अदिवासियों और दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समिति के अधिकार के लिए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

अनेक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निकाय, जिसमें यूएन के विशेष दूत शामिल है को मानव अधिकारों के रक्षक की स्थिति पर कानून के निरस्त होने के लिए बुलाया गया है।

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियमसीएसपी) एसए छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा -(अधिनियम को2005 में माओवादी सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसा का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत के दायित्वों का इस अधिनियम के अनेक भागों में उल्लंघन किया गया।

अधिनियम में ‘गैरकानूनी गतिविधि’ की व्यापक और अस्पष्ट शब्दों में परिभाषाएं शामिल हैं। परिभाषा में शामिल है, जैसे किअधिनियम ‘जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में हस्तक्षेप करता है’ या ‘जिसको प्रभाव जमाने के लिए बनाया गया हैकोई लोक सेवक...’ और कानून तथा इसकी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अवज्ञा का उत्साह बढ़ाने और सिखाने का कार्य करना।

‘अवैध संगठन’ की परिभाषा उन संस्थानों को समाहित करती है जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए प्रोत्साहन सीधे या परोक्ष रूप से प्रदान करते हैं। कोई भी संगठन या ... व्यक्ति जो‘गैरकानूनी गतिविधि’ के प्रति वचनबद्ध है या उकसाता है या प्रयास करता है उसे

सात साल तक के लिए कैद रखा जा सकता है। एक अवैध संगठन की केवल सदस्यता लेना ही तीन साल तक के लिए दंडनीय है।

ये व्यापक परिभाषाएं अनेक मानव अधिकारों के लिए प्रतिकार चलाती हैं जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के संविधान के अंतर्गत संघ का आश्वासन और अंतर्राष्ट्रीय मानवअधिकार कानून शामिल हैं। आतंकवाद पर पत्रकारिता की रिपोर्ट लिखने पर सार्वजनिक व्यवस्था के साथ हस्तक्षेप 'में प्रवृत' के रूप में मुकद्मा चलाया जा सकता है।

आतंकवाद की कोई भी परिभाषा और संबंधित अधिनियम सटीक और कानूनी रूप से स्पष्ट होने चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तथा आतंकवाद के विशिष्ट खतरों का मुकाबला करने के लिए उपायों का होना आवश्यक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अधिकारों पर नियमजिसके लिए भारत राज्यों का समुदाय ह -ै जिसकी व्याख्या यूएन मानवाधिकार - के रूप में है सुनिश्चित करे आंतकवाद के मुकाबले के उपायों में - समिति द्वारा की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अनावश्यक या असंगत हस्तक्षेप की ओर तो अग्रसर नहीं है।

मानव अधिकारों के रक्षक की स्थिति पर नज़र रखने वाले यूएन के विशेष दूत की सीएसपीएसए को निरस्त करने की बात कही है.

कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन

2013 में बस्तर के जेलों में जगदलपुर कानूनी सहायता समूह के अनुसंधान द्वारा 'विचाराधीन कैदियों') के अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर उदासीनता का पता चला। वकीलों ने पाया कि 2005 और 2013 के बीच दांतेवाड़ा में सभी अपराधिक मामलों में से 96 प्रतिशत में रिहाई हुई। फिर भी कई कैदी परीक्षण के इंतज़ार में लंबे समय से जेल में हैं। 2013 में दांतेवाड़ा जिले में लगभग आधे विचाराधीन कैदियों जेल में एक साल से अधिक व्यतीत किया है।

अनुसंधान से पता चला है कि जगदलपुर, दांतेवाड़ा और कांकेर की प्रमुख जेल अत्यंत भीड़ द्वारा भरी हैं जो कि 260 प्रतिशत, 371 प्रतिशत और 428 प्रतिशत क्रमशः हैं। दांतेवाड़ा और कांकेर जिला जेलों में लगभग 97 प्रतिशत कैदी विचाराधीन कैदी थे जो कि राष्ट्रीय औसत 67 प्रतिशत से ऊपर था। अनेक कैदी अनपढ़ आदिवासी थे।

वकीलों को उन प्रकरणों का भी पता चला जहां पर पुलिस ने सबूतों को गढ़ा था। एक घटना में पुलिसकर्मी जो एक माओवादी के साथ शस्त्र अदला बदली में शामिल था, ने दावा किया है कि उसे याद है कि माओवादी योद्धाओं द्वारा 50 नामों को चिल्लाया गया था। वकीलों को ऐसे प्रकरण भी पता चले हैं जहां लोगों को फावड़े और बरमा ले जाने के लिए शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। कुछ जांच के मामलों में, कैदियों ने जिन्हें कई मामलों में फंसाया गया था जेल में कई साल बिताए, और अंततः उन्हें रिहाई मिली।

दमन का एक प्रतिरूप

यह पहली बार नहीं जब छत्तीसगढ़ ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हमलों की श्रृंखलाओं का सामना करना पड़ा । 2005 और 2007 के मध्य, मानव अधिकारों के रक्षक जिन्होंने उल्लंघन पर प्रकाश डाला उन्हें या तो सलवा जुडूम नागरिक सेना या सुरक्षा बलों द्वारा शारीरिक धमकी, हिंसा, मनमाने ढंग से हिरासत में रखना, अत्याचार और यौन हिंसा का सामना करना पड़ा।

2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय सरकार को आदेश दिया कि राज्य द्वारा प्रायोजित सिविल लड़ाकों को खत्म करने और काबू में करने के लिए और उनके सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराये और उन्हें पुर्नवास दिया जाए।

हालांकि वहां सलवा जुडूम को पुनर्जीवित करने के लिए कई अलगअलग रूपों में प्रयास किया - गया है। मई2015 में काँग्रेस पार्टी के नेता जिसने सलवा जुडूम को बनाया था के बेटे ने विकास संघर्ष समिति के नाम से एक समूह के गठन की घोषणा की सलवा जुडूम के समान - ही माओवदी को जवाबी हमले के लिए।

पिछले एक साल से, राज्य पुलिस के मौन समर्थन के द्वारा विभिन्न स्थानीय राजनैतिक दलों के नेताओं ने भी सामाजिक एकता मंच जैसे समूहों की स्थापना की है और वे उनसे खुले तौर पर शत्रुता रखते हैं जो राज्य सरकार पर सवाल उठाते हैं। हाल ही के महीनों में, इन समूहों ने असहमति के खिलाफ अपने अभियानों को तीव्र कर दिया है।

सिफारिशें:

एमनेस्टी इंटरनेे**शल इंडिया ने छत्तीसगढ़ सरकार से** अनुरोध करती है **कि-**

- पत्रकारों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित सभी आरोपों को तुरंत समाप्त कर दिया जाए तथा पत्रकारों को जिन्हें अपने काम करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए।
- छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार, उत्पीड़न और अन्य मानव अधिकार उलंघनों के आरोपों की समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो और उन्हें लाया जाए जो न्याय के प्रति ज़िम्मेदार हैं।
- पत्रकारों और रक्षकों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपनी उचित और शांतिपूर्ण मानव अधिकार गतिविधियों को बिना किसी उत्पीड़न और धमकी के डर के करने में सक्षम हैं।
- छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम को निरस्त किया जाए।

एम्नेस्टी इंटरनैश्नल इंडिया **केंद्रीय गृह मंत्रालय से** अनुरोध करती है **कि:**

- वो ये सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ में सभी पत्रकारों, शोधकर्ताओं, वकीलों एवं मानवाधिकार के रक्षकों पर हुए हमले, अत्याचार तथा आरोपों का जल्द, बिना भेदभाव के, स्वतंत्र तथा सुचारू जाँच की जाए।
- गैरकानूनी गतिविधियों (रोक थाम)कानून (यु ए पी ए) को निरस्त किया जाए।